संख्या-२/२०१८/७४३/५७-२०१८-३(७०)/२०१३

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊः दिनांकः २७ अप्रैल, २०१८

विषयः जनपद वाराणसी में गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग के विस्तारीकरण/ सुन्दरीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग के विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण की चालू योजनान्तर्गत भवनों के अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त मद में प्राविधानित धनराशि रू0-3,60,00,00,000 (रूपये तीन अरब साठ करोड़ मात्र) में से रू0-1,50,00,00,000 (रू0-एक अरब पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अनुदान सं0-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्य-800-अन्य व्यय-07-वाराणसी में गंगा नदी से विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग का विस्तारीकरण/ सुन्दरीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य मद से अवमुक्त कर जिलाधिकारी वाराणसी के निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रस्तावित भूमि/भवनों के अधिग्रहण की कार्यवाही अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वाराणसी, सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी एवं अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से की जायेगी।

(2) भवनों के अधिग्रहण के संबंध में समय पर निर्गत नियमों/ शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

(3) प्रस्तावित भूमि/भवनों के अधिग्रहण पर कोई सेन्टेंज चार्जेज आदि देय नहीं होगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तखण्ड पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय≤ पर शासन द्वारा निर्गत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाये।

(6) परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकता अनुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथोरिटी से स्वीकृत करा लिया जाये।

(7) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक डाक घर पी0एल0ए0/ डिपाजिटखाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) उक्त धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

3- उक्त व्यय अनुदान सं0-84 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखा शीर्षक 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-07-वाराणसी में गंगा नदी से विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग का विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य मद से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-अशा0पत्र0सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांकः 30 मार्च, 2018 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

कृपया उपरोक्त प्राविधानानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अवनीश कुमार अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-२/२०१८/७४३/५७-२०१८-३(७०)/२०१३ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं अधिकारी प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) आयुक्त, वाराणसी मण्डध्ल वाराणसी।
(4) वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय उ0प्र0।
(5) जिलाधिकारी, वाराणसी मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
(6) उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी।
(7) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
(8) वित्त व्यय नियंत्रण-5/सामान्य प्रशासन अनुभाग। गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अशोक कुमार तिवारी
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।